आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के टिप्पणी तारीख के साथ
22/09/2012	(see below)	

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
आंगनबाड़ी अपील सं0 04/2012
चिन्ता देवी बनाम सुधा कुमारी
आदेश

22/09/2012

इस मामले की सुनवाई दोनों पक्षों तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की उपस्थिति में की गयी है।

1. यह अपील आवेदन कई प्रकार के भ्रामक तथ्यों पर आधारित है। इस अपील में प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए प्रश्नगत केन्द्र के विपक्षी प्राधिकारों को विपक्षी नहीं बनाया गया है। यह आवश्यक पक्षकार का Non- joinder है।
2. इस आवेदन में आवेदिका ने प्रश्नगत आदेश की वैधानिकता/अवैधानिकता पर विचार करने के बजाय सेविका के साथ उठे विवाद को उपस्थापित किया है, जो इस अपील का मूल वस्तु नहीं हो सकता है।
3. प्रश्नगत आदेश के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य या दावा अपील आवेदन में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और मात्र यह बात दोहरायी गयी है कि सेविका के साथ हुए विवाद और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निरीक्षण में त्रुटि के कारण प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सहायिका-सह-अपीलकर्त्ता ने न तो केन्द्र पर योगदान किया है और न वह केन्द्र पर आती है। कई प्राधिकारों के द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन दिए गए हैं कि अपीलकर्त्ता ने पूर्व में किसी प्रकार के पत्र लेने से भी इनकार किया है।

स्पष्ट है कि आवेदिका के विरुद्व पारित प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक विसंगति या त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

(ह०)
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 26·22 / विधि, दिनांक 9·X·12 ।
आदेश की प्रति के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी छपरा को उनके आदेश ज्ञापांक 48 दिनांक 22-02-2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनुलग्नक- LCR संचिका मूल में ।
ह० सि०

(ह०)
वरीय उपसमाहर्त्ता
प्रभारी विधि शाखा
सारण, छपरा ।
09/10/12